

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉंची/हजारीबाग/याँ०  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉंची।

रॉंची, दिनांक 06/04/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 32 कार्यालयों को विभिन्न मदों में  
कुल रु 5020.95 लाख (पचास करोड़ बीस लाख पंचानबे हजार मात्र) राशि आवंटित करने के  
संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये  
गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता  
है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	5020.950

कुल आवंटित राशि - रुपये पचास करोड़ बीस लाख पंचानबे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध ₹ 8612.11 लाख (छियासी करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास )  
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 07

राँची, दिनांक :- 06/04/2021


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक :- 07

राँची, दिनांक :- 06/04/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव(अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-खेतानागापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक..... 07 ..... दिनांक..... 06/04/2021 ..... का अनुदानक

प/शि/सि/ए I

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विरुदा शीर्ष-01-खेत एवं नहरें			विरुदा शीर्ष-02-यारा खेत			विरुदा शीर्ष-03-प्रशासनिक खेत										राशि लाख रुपये में	
		क्षेत्र	क्षेत्र का वर्णन	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	क्षेत्र का क्षेत्रफल	कुल योग	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	मुख्य अतिरिक्त जलसंसाधन विभाग, मोदिनीनगर	109.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	110.300				
2	मुख्य अतिरिक्त जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	48.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	49.300				
3	औरंगा निजी अंचल, मोदिनीनगर	85.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	86.000				
4	कदम बांध अंचल, गढ़वा	91.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	92.000				
5	जलपथ अंचल, गढ़वा	60.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	61.000				
6	रूपकण आवाहन एवं मोनिंग अंचल, मोदिनीनगर	88.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	89.000				
7	अग्नि योजना प्र. पलामू	59.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	59.800				
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	122.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	122.800				
9	आवाहन एवं मोनिंग प्रमंडल, मोदिनीनगर	160.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	160.750				
10	औरंगा निजी अंचल, पाकी पलामू	148.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	148.800				
11	कदम बांध प्रमंडल, नगर चंदरी गढ़वा	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	132.800				
12	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	182.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	182.500				
13	कोनार नहर प्रमंडल, बनोदर	158.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	158.750				
14	कोनार नहर प्रमंडल, बनासी	140.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	140.500				
15	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोदिनीनगर	100.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	100.750				
16	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	55.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	55.800				
17	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	185.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	185.800				

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अग्नि)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अग्नि)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र. सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया देयताशि	एलओसीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	मद्री	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मत	विभि. प्रसार	कुल योग	अतिरिक्त		
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
18	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	325.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	325.500			
19	जलपथ प्रमंडल, बरही	294.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	294.450			
20	जलपथ प्रमंडल, नौदिनीनगर	279.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	279.750			
21	जलपथ प्रमंडल, राँची	404.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	404.500			
22	जलपथ प्रमंडल, बिशुनपुर, पाटन	78.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	78.750			
23	जलपथ प्रमंडल, इजारीबाग	252.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	252.800			
24	मुनारबंस पहाड 30 कोयल मारियोजना, नौदिनीनगर	108.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	108.500			
25	यात्रिक प्रमंडल, बनारसो इजारीबाग	164.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	164.750			
26	रुपांकण एवं नौमिड ५०, इजारीबाग	25.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	25.500			
27	रुपांकण प्रमंडल सं.-1, नौदिनीनगर	226.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	226.750			
28	रुपांकण प्रमंडल सं.-2, नौदिनीनगर	215.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	215.500			
29	विल पहाड, रुपरैखा पशि, जमशेदपुर	59.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	59.450			
30	विशेष मू.अर्जन पदाडजतर कोयल पशिड नौदिनीनगर	148.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	148.800			
31	सिवाई प्रमंडल, डुडू	316.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	316.500			
32	सिवाई यात्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातार) सिधिर नौदिनीनगर	172.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	172.800			
	आवटन का योग	4997.000	0.000	0.000	6.500	8.500	0.000	0.000	1.450	0.000	0.000	7.400	0.000	5020.950			

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव(अतिरिक्त)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

आवृत्ति राशि - रुपये पचास करोड़ बीस लाख पंचानवे हजार मात्र